

फा. सं. 1704813/1/2022--मा. (समन्वय) (ई-21449)

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

चंद्रलोक बिल्डिंग,

प्रथम तल, 36, जनपथ, नई दिल्ली

दिनांक 23 मई, 2023

### कार्यालय ज्ञापन

विषय: मत्स्यपालन विभाग द्वारा अप्रैल, 2023 माह के दौरान किए गए प्रमुख गतिविधियों और महत्वपूर्ण निर्णयों का मासिक सार मंत्रिमंडल सचिवालय को परिचालित करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 19 अगस्त, 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/26/1/2018-कैब का संदर्भ लेने और अप्रैल, 2023 माह के लिए मत्स्यपालन विभाग का मासिक सारांश परिचालित करने का निदेश हुआ है जिसमें की गई प्रमुख गतिविधियां, महत्वपूर्ण निर्णय और मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समितियों के निर्णयों पर की गई कार्रवाई के संबंध में प्रगति सूचनार्थ संलग्न हैं।

यथोक्त: संलग्न

(डॉ. एंसी मैथ्यू एनपी)

सहायक आयुक्त (मात्स्यकी)

प्रति

मंत्रिमंडल के सभी सदस्य

### प्रतिलिपि

- मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110001 (ध्यानार्थ: श्री भास्कर दासगुप्ता, निदेशक)
- प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव
- राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
- उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली
- प्रेस सूचना अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
- भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
- सलाहकार, कृषि कार्यक्षेत्र, नीति आयोग, नीति भवन, नई दिल्ली

### सूचना के लिए प्रतिलिपि:

- माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के निजी सचिव
- मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी के लिए माननीय राज्य मंत्री के निजी सचिव
- सचिव, मात्स्यकी के प्रधान निजी सचिव
- अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार के प्रधान निजी सचिव
- मत्स्यपालन विभाग के संयुक्त सचिवों के प्रधान निजी सचिव
- तकनीकी निदेशक, एनआईसी डीओएफ को विभाग की वेबसाइट पर संलग्न दस्तावेज अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

**मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय में अप्रैल, 2023 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय एवं प्रमुख उपलब्धियां**

1. सीएए संशोधन विधेयक 2023 को 5 अप्रैल, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। संशोधन विधेयक अधिनियम में अस्पष्टता को दूर करने, सीआरजेड नियमों के साथ सीएए अधिनियम के सामंजस्य के लिए, तटीय जलकृषि के दायरे का विस्तार, अधिनियम को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना चाहता है।
2. माननीय मंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, श्री परशोत्तम रूपाला ने 18 अप्रैल, 2023 को मत्स्यपालन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की उपलब्धियों और महत्वपूर्ण गतिविधियों की समीक्षा की।
3. माननीय राज्य मंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, डॉ. एल. मुरुगन ने 21-22 अप्रैल, 2023 को नागालैंड का दौरा किया, फेक जिले में मात्स्यकी से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा की, मत्स्य किसानों के साथ बातचीत की और विभिन्न मात्स्यकी परियोजनाओं का उद्घाटन किया जैसे कि दीमापुर, परेन और कोहिमा जिलों में बैकयार्ड सजावटी मात्स्यकी इकाइयां, मीठे पानी की फिनफिश हैचरी और स्मॉल री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्वर सिस्टम (आरएएस)/बायोफ्लॉक कल्वर सिस्टम। उन्होंने भारत-म्यांमार सीमा पर फेकोन जिले के अवाखुंग और चेसुजु गांव का भी दौरा किया और मत्स्यपालन और पशुपालन गतिविधियों में संलग्न लोगों के साथ बातचीत की।
4. माननीय राज्य मंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, डॉ. एल. मुरुगन ने 23 अप्रैल, 2023 को गुवाहाटी का दौरा किया और पीएमएसवाई के तहत असम के लिए स्वीकृत मात्स्यकी और जलकृषि परियोजनाओं की प्रगति और ग्राउंडिंग की समीक्षा की।
5. विभाग ने 2000 मौजूदा मत्स्य सहकारी समितियों को मजबूत करने और उन्हें पीएमएसवाई योजना के तहत एफएफपीओ के रूप में विकसित करने के लिए 440 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना शुरू की और कार्यान्वयन एजेंसियों, यानी एनसीडीसी, एसएफएसी और नेफेड के साथ 6 अप्रैल, 2023 को रणनीतियों और कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा की। इससे लगभग 10% मौजूदा मत्स्य सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने और नई सहकारी समितियों के गठन सहित पूरे मत्स्य सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक पायलट के रूप में काम करने की उम्मीद है।
6. विभाग ने 11 अप्रैल, 2023 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में एनएससीएस द्वारा आयोजित राज्य समुद्री सुरक्षा समन्वयकों (एसएमएससी) और मात्स्यकी आयुक्तों/निदेशकों की बैठक में भाग लिया और विभाग की हालिया पहलों के बारे में बताया जैसे मत्स्यन जहाजों की ट्रैकिंग के लिए तकनीकी समाधान, मत्स्यन बंदरगाह और मत्स्य लैंडिंग केंद्रों के लिए सामान्य एसओपी, मछुआरों के लिए आईडी कार्ड जारी करना, और मत्स्यन जहाजों और उनके चालक दल के पंजीकरण और आवाजाही की निगरानी के लिए सामान्य मात्स्यकी आवेदन का विकास एवं समुद्री सुरक्षा परिदृश्य में काम करने वाली विभिन्न एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई।
7. विभाग ने समुद्री मात्स्यकी संसाधनों के संरक्षण और पुनर्जनन के लिए किए जा रहे उपायों के तहत 61 दिनों के लिए पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों के लिए मत्स्यन पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की। प्रतिबंध की अवधि पूर्वी तट में 15 अप्रैल से 14 जून तक और पश्चिमी तट में 1 जून से 31 जुलाई तक चलेगी।
8. राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) की 44वीं कार्यकारी समिति की बैठक 24 अप्रैल, 2023 को आयोजित की गई और पीएमएसवाई, एफआईडीएफ योजनाओं के तहत एनएफडीबी द्वारा की गई गतिविधियों की समीक्षा की गई। इसके अलावा, एनएफडीबी द्वारा शुरू की गई नई अनुसंधान परियोजना पहलों पर भी चर्चा की गई और उन्हें मंजूरी दी गई।

9. केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के लिए केंद्रीय शीर्ष निगरानी समिति (सीएएमसी) की पहली बैठक 24 अप्रैल 2023 को आयोजित की गई ताकि उपलब्ध मात्रिकी का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध तरीके से चल रही परियोजनाओं/योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की जा सके और सभी केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जलकृषि संसाधनों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी पात्र लाभार्थियों को संतृप्त पीएमएसवाई योजना का लाभ मिल सके।
10. 42 वीं परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) की बैठक 13 अप्रैल 2023 को आयोजित की गई थी और तेलंगाना और उत्तराखण्ड राज्यों के प्रस्तावों और उद्यमी मॉडल के तहत 20 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 4 परियोजना प्रस्तावों की मंजूरी के लिए सिफारिश की।
11. मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और राष्ट्रीय मात्रिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) द्वारा 30 अप्रैल 2023 को वीसी के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मात्रिकी विभागों के सहयोग से आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस आउटरीच कार्यक्रम में मछुआरों, मत्स्य किसानों, उद्यमियों आदि सहित 60,000 से अधिक हितधारक देश भर के 604 स्थानों से पीएमएसवाई और अन्य योजनाओं पर आउटरीच कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा, एनएफडीबी ने अप्रैल-2023 के दौरान क्रमशः 4,900 और 1,04,499 व्यक्तियों को कवर करते हुए 06 प्रशिक्षण और जागरूकता गतिविधियों और 53 आउटरीच गतिविधियों का आयोजन किया।
12. मात्रिकी विकास आयुक्त, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 25 से 28 अप्रैल 2023 तक, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में आयोजित नियमों (मत्स्य सब्सिडी) पर ओपन-एंडेड नेगोशिएटिंग ग्रुप के संबंध में मत्स्य समाह में भाग लिया और चर्चाओं में योगदान दिया।
13. माह के दौरान तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में फार्मों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए 174 आवेदनों पर कार्रवाई की और 23 इनपुट निर्माताओं से एंटीबायोटिक मुक्त एक्वा इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए 91 आवेदन प्राप्त किए।
14. विभाग ने एक्यूट हेपेटोपैंक्रिएटिक नेक्रोसिस डिजीज (एएचपीएनडी) प्रभावित देशों से आर्टीमिया सिस्ट के साथ एसपीएफ श्रिम्प और स्कैम्पी ब्रूडस्टैक पैरेंट पोस्ट लार्वा (पीपीएल) क्रस्टेशियन के आयात के लिए आपूर्तिकर्ताओं के पैनल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और मानदंड विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की और इस उद्देश्य के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया।
15. विभाग ने भारत में कोस्टल एक्वाकल्चर एस्टेबिलिशमेंट और स्टॉक के स्वास्थ्य निगरानी, रोग निगरानी और एसपीएफ प्रमाणन पर दिशानिर्देशों को मंजूरी दी। इससे तटीय जलकृषि इकाइयों में जैव सुरक्षा उपायों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और बीमारियों के जोखिम को कम करने की उम्मीद है।
16. रिपोर्ट की गई बीमारी, व्यय आदि सहित कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने के लिए वीसी के माध्यम से 27 अप्रैल, 2023 को जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (एनएसपीएएडी) चरण- II की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
17. सेंट्रल इंस्टीचूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी (साइसेफ) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मूल्यांकन के लिए विभिन्न मत्स्यन बंदरगाहों/मत्स्य लैंडिंग केंद्रों पर फ्लोटिंग जेटी के निर्माण के लिए बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र (एनटीपीडब्ल्यूसी),

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मद्रास द्वारा तैयार और प्रस्तुत पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की जांच की।

18. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज, नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग (सिफनेट) ने 111 मछुआरों के लिए 02 मछुआरा विस्तार प्रशिक्षण कार्यक्रम और 01 मछुआरा इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

19. भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण (एफएसआई) के चार (4) मत्स्यन जहाजों ने भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में और उसके आसपास मात्स्यकी संसाधनों और समुद्री स्तनपायी सर्वेक्षण कार्यक्रम के लिए खोजपूर्ण सर्वेक्षण कार्यक्रम चलाए और संचालित किए।

20. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग (निफेट) माह के दौरान 540 प्रशिक्षु दिनों सहित 58 समुद्री मछुआरा महिलाओं/पुरुषों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

21. जन शिकायतें: मत्स्यपालन विभाग के लिए सीपीपीआरएएमएस पोर्टल के तहत शिकायतों का निपटान 30 अप्रैल, 2023 तक 96% था।

\*\*\*